भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **853**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 नवंबर, 2024/8 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की कीमतों को स्थिर रखने के लिए उपाय

853. श्री ई.टी.मोहम्मद बशीर:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उर्वरकों की कीमतों को स्थिर रखने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है ताकि उर्वरकों से किसानों की आय प्रभावित न हो;
(ख) क्या विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए उर्वरकों पर राजसहायता योजनाओं हेतु किसी संशोधन की योजना बनाई गई है; और
(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि लक्षित लाभार्थियों तक राजसहायता कुलशतापूर्वक पहुंच रही है, किसी योजना पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): किसानों को यूरिया की उत्पादन लागत पर ध्यान दिए बिना सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध कराया जाता है। यूरिया की 45 किग्रा बोरी की सब्सिडी प्राप्त एमआरपी 242 रुपए प्रति बोरी है (नीम लेपन के प्रभार और लागू करों को छोड़कर)। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच के अंतर को भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादक/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, सभी किसानों को यूरिया की आपूर्ति सब्सिडी प्राप्त दरों पर की जा रही है।

फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के मामले में सरकार ने 1.4.2010 से पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति लागू की है। इस नीति के अंतर्गत उत्पादकों/आयातकों को सब्सिडी प्राप्त पीएण्डके उर्वरकों पर उनके पोषकतत्व मात्रा अर्थात नाइट्रोजन (एन), फॉस्फोरस (पी), पोटैशियम (के) और सल्फर (एस) के आधार पर वार्षिक/अर्ध-वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी की एक नियत राशि दी जाती है ताकि किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता में सुधार लाया जा सके। सरकार प्रमुख उर्वरकों और कच्चे माल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की निगरानी करती है और पीएण्डके उर्वरकों के लिए

वार्षिक/अर्धवार्षिक आधार पर एनबीएस दरें निर्धारित करते समय उतार-चढ़ाव, यदि कोई हो, को सम्मिलित कर दिया जाता है। इसके अलावा, किसानों को वहनीय मूल्यों पर उर्वरकों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आवश्यकता आधार पर एनबीएस सब्सिडी दरों के अतिरिक्त डीएपी पर विशेष पैकेज प्रदान किए हैं ताकि उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) स्थिर रहे और बाजार की अस्थिरता को सम्मिलित किया जा सके। 2024-25 में, सरकार ने किसानों को सस्ती कीमतों पर डीएपी की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने और कृषि क्षेत्र एवं संबंधित गतिविधियों का समर्थन करने और देश में खाद्य सुरक्षा परिदृश्य को सुदृढ़ करने के लिए ₹ 2625 करोड़ के अनुमानित वित्तीय निहितार्थ के साथ पीएण्डके उर्वरक कंपनियों को ₹ 3500 प्रति मीट्रिक टन की दर पर 01.04.2024 से 31.12.2024 तक की अवधि के लिए डीएपी की वास्तविक पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) बिक्री पर एनबीएस दरों के अतिरिक्त डीएपी पर एक-बारगी विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। इस प्रकार, संपूर्ण सब्सिडी स्कीम किसानों को वहनीय मूल्यों पर उर्वरकों की समय पर उपलब्धता पर केन्द्रित है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): उर्वरक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के अंतर्गत खुदरा विक्रेताओं द्वारा लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर उर्वरक कंपनियों को 100% सब्सिडी जारी की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत लक्षित लाभार्थी तक पहुंचे, इसके लिए किसानों/क्रेताओं को सभी सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों की बिक्री प्रत्येक खुदरा विक्रेता की दुकान पर स्थापित बिक्री केन्द्र (पीओएस) उपकरणों के माध्यम से की जाती है और लाभार्थियों की पहचान आधार कार्ड, केसीसी, मतदाता पहचान पत्र आदि के माध्यम से की जाती है।

****